न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

विविध वाद संख्या– 07/2013
मो० मन्नान वनाम अली हसन एवं वगैरह

आदेश

प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता के कारण यह आदेश विलम्ब से पारित किया जा रहा है।

प्रस्तुत विविध वाद आवेदक मो० मन्नान द्वारा अली हसन, मसोमात सकीना एवं मो० इलियास को पक्षकार बनाकर दाखिल किया गया हैं। आवेदक मो० मन्नान ने वासगीत पर्चा अपील वाद संख्या– 172/2009–10 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक– 27.09.2011 को पारित आदेश जिसमें अंचल अधिकारी, नौहट्टा को निदेशित किया गया है कि अपीलार्थी के दावे पर स्वयं स्थलीय जॉच करें तथा सभी संबंधित पक्षकारों को सुनकर आदेश पारित करें के अनुपालन में अंचलाधिकारी, नौहट्टा ने दिनांक– 10.02.2013 को आदेश पारित किया है को संपुष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, नौहट्टा ने दिनांक– 10.02.2013 को पारित आदेश में मो० अली हसन को निर्गत मौजा– नौहट्टा, खाता नं0– 532, खेसरा नं0– 7958 रकवा– 6 डी0 का वासगीत पर्चा में संशोधित कर अली हसन को 4 डी0 तथा मो० मन्नान को 2 डी0 निर्गत किया गया है एवं इस आदेश को संपुष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

सरकारी वकील को सुना। Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act 1947 के तहत वासगीत पर्चा निर्गत करना अंचल अधिकारी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। इस न्यायालय के आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, नौहट्टा द्वारा निर्गत पर्चा में संशोधन किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, नौहट्टा के आदेश को संपुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक यदि उक्त आदेश से संतुष्ट नहीं होते हैं तो इस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। इस निदेश के साथ वाद निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

27.10.14
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1969-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 27 अक्टूबर, 2014 ई.।

प्रतिलिपि–अंचलाधिकारी, नौहट्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं सहरसा जिला के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
27.10.14